उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

प्रबंध परिषद् की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 22 सितम्बर, 2015
समय : 02.00 बजे अपराह्न
स्थान : होटल इन्द्रलोक, राजपुर रोड, देहरादून।

उपस्थिति

1– प्रो0 मैथ्यू प्रसाद — अध्यक्ष
कुलपति

2– श्री सविन बंसल
अपर सचिव एवं प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, कृषि

3– श्री कृष्ण कुमार शुक्ला
प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, वित्त

4– डा0 कमल मेहरोत्रा — सदस्य
निदेशक, पशुपालन

5– संयुक्त निदेशक, कृषि
प्रतिनिधि, निदेशक, कृषि

6– प्रो0 पुष्कर सिंह बिष्ट — सदस्य
उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास
निगम लि0, पंतनगर

7– प्रो0 अरविन्द शुक्ला — सदस्य

8– प्रो0 सी0एम0 शर्मा — सदस्य

9– प्रो0 बी0 पी0 नौटियाल — सदस्य

10– श्री बलवीर सिंह रौतेला — सदस्य
प्रगतिशील किसान

11– श्री बैशाखी लाल — सदस्य
जाने माने उद्योगपति या उत्पादक

12– श्रीमती शोभा बहुगुणा — सदस्य
महिला समाज सेविका

13– डा0 बी0एस0 नेगी — सदस्य
निदेशक, उद्यान

14– डा0 यशवन्त सिंह बर्त्वाल — सदस्य सचिव

सचिव, प्रबन्ध परिषद् द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलपति / अध्यक्ष महोदय से अनुमति का अनुरोध किया गया।

मा0 कुलपति / अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रबन्ध परिषद् की द्वितीय बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी। कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित की गयी।

प्रबन्ध परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के कार्यवृत्त की संक्षिप्त आख्या सारणी

संकल्प संख्या	कृत कार्यवाही	प्रबन्ध परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
प्रस्ताव सं0 2/1		कुलसचिव द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत
प्रस्ताव सं0 2/2		मा0 प्रबन्ध परिषद् के नवीन सदस्यों की नियुक्ति का संज्ञान लिया गया
प्रस्ताव सं0 2/2.1		मा0 प्रबंध परिषद् की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई
प्रस्ताव सं0 2/3		मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा सेवानियमावली का पुष्टिकरण किया गया
प्रस्ताव सं0 2/4		मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा पदों के ढांचे का पुष्टिकरण किया गया
प्रस्ताव सं0 2/5	कुलसचिव कार्यालय	मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा परिनियमावली में संशोधन को मा0 राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के उपरांत पदों को भरे जाने की अनुमति प्रदान की गई
प्रस्ताव सं0 2/6		मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा संज्ञान लिया गया
प्रस्ताव सं0 2/7	वित्त विभाग	मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया
प्रस्ताव सं0 2/8	कार्मिक विभाग	मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा स्वीकृति दी गई
प्रस्ताव सं0 2/9	वित्त विभाग	मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा अवलोकन किया गया
प्रस्ताव सं0 2/10	कार्मिक विभाग / कुलसचिव कार्यालय	मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को आमेलन संबंधी नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया तथा संबंधित प्रकरणों को शासन को संदर्भित करने का भी निर्देश दिया गया
अन्य प्रस्ताव सं0 2/11–1	प्रसार निदेशालय	मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई
अन्य प्रस्ताव सं0	कुलसचिव कार्यालय	मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा सहमति प्रदान की

2/11–2		गई
अन्य प्रस्ताव सं0 2/11–3	परिसंपत्ति विभाग	मा0 प्रबंध परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई
अन्य प्रस्ताव सं0 2/11–4	परिसंपत्ति विभाग	मा0 प्रबंध परिषद ने राज्य सरकार के वित्त विभाग की पूर्वानुमति से क्रय की अनुमति प्रदान की
अन्य प्रस्ताव सं0 2/11–5	वित्त विभाग	मा0 प्रबंध परिषद ने विस्तृत प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने का निदेश दिया
अन्य प्रस्ताव सं0 2/11–6	वित्त विभाग	मा0 प्रबंध परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई
प्रस्ताव सं0 2/12		धन्यवाद

संकल्प संख्याः 2/2.1

प्रबन्ध परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रबन्ध परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर सहमति व्यक्त की गई।

संकल्प संख्याः 2/3

विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों हेतु सेवा नियमावली का पुष्टिकरण।

निर्णय :

मा0 प्रबंध परिषद् को अवगत कराया गया कि भरसार विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों हेतु सेवा नियमावलियों को तैयार कर लिया गया है तथा इन्हें परिचालन द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों द्वारा अनुमोदित भी किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त सेवा नियमावलियां शासन को भी प्रेषित की गई हैं। मा0 प्रबंध परिषद् ने उपरोक्त सेवा नियमावलियों के पुष्टिकरण पर सहमति व्यक्त की।

संकल्प संख्याः 2/4

विश्वविद्यालय द्वारा तैयार स्वीकृत एवं प्रस्तावित पदों का ढांचा प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :

मा0 प्रबंध परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, औषधि एवं संगन्ध पादप विज्ञान तथा ईको–टूरिज्म विषयों की अभिवृद्धि की गई है तथा विश्वविद्यालय में संबद्धता का प्राविधान भी किया गया है। मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा उपरोक्त संशोधनों का संज्ञान लिया गया।

संकल्प संख्याः 2/7

ऐसे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाना जिनकी अंतरिम तैनाती मूल कार्य स्थल से पृथक स्थान पर की गई हो।

निर्णय :

मा0 प्रबंध परिषद् के सदस्यों का मत था कि मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव प्रथम बैठक में ही अनुमोदित कर दिया गया था। मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–वित्त विभाग)

संकल्प संख्याः 2/8

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की प्रणाली (ICAR System) के अन्तर्गत शिक्षकों/अधिकारियों के सम्बन्ध में कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम का लागू किया जाना।

निर्णय :

मा0 प्रबंध परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के सम्बन्ध में कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रणाली के

निर्णय :

मा0 प्रबंध परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, औषधि एवं संगन्ध पादप विज्ञान तथा ईको–टूरिज्म विषयों की अभिवृद्धि की गई है तथा विश्वविद्यालय में संबद्धता का प्राविधान भी किया गया है। मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा उपरोक्त संशोधनों का संज्ञान लिया गया।

संकल्प संख्याः 2/7

ऐसे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाना जिनकी अंतरिम तैनाती मूल कार्य स्थल से पृथक स्थान पर की गई हो।

निर्णय :

मा0 प्रबंध परिषद् के सदस्यों का मत था कि मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव प्रथम बैठक में ही अनुमोदित कर दिया गया था। मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–वित्त विभाग)

संकल्प संख्याः 2/8

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की प्रणाली (ICAR System) के अन्तर्गत शिक्षकों/अधिकारियों के सम्बन्ध में कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम का लागू किया जाना।

निर्णय :

मा0 प्रबंध परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के सम्बन्ध में कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रणाली के

अन्तर्गत लागू किया जाना प्रस्तावित है। आई0सी0ए0आर0 प्रणाली के अन्तर्गत प्रमुख तौर पर यू0जी0सी0 के ए0पी0आई0 (API) मानक लागू किए गये हैं। देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों ने भी उक्त मानकों को यथा रूप में अंगीकृत किया है। अतः विश्वविद्यालय में शिक्षकों/अधिकारियों के सम्बन्ध मे यू0जी0सी0 के मानकों को यथा रूप में अंगीकृत किये जाने हेतु मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–कार्मिक विभाग)

संकल्प संख्याः 2/9

विश्वविद्यालय में वित्त वर्ष 2014–15 का वित्तीय विवरण एवं भौतिक प्रगति तथा वित्त वर्ष 2015–16 का अद्यतन वित्तीय विवरण का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :

मा0 प्रबंध परिषद् के पूर्व वित्त समिति द्वारा दिनांक 22.09.2015 को अपनी प्रथम बैठक में उपरोक्त वित्तीय विवरणों एवं भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन संस्तुत किया गया जिसका मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–वित्त विभाग)

संकल्प संख्याः 2/10

विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति/ असाधारण अवकाश पर आये शिक्षकों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवाओं के आमेलन हेतु प्रस्ताव – विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :

मा0 प्रबंध परिषद् को अवगत कराया गया कि भरसार विश्वविद्यालय में विगत तीन वर्षों से कार्यरत प्रतिनियुक्ति/असाधारण अवकाश पर आये गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर से प्रो0 अरविन्द शुक्ला, निदेशक शोध, डा0 एस0बी0 भारद्वाज, सह–प्राध्यापक (सांख्यिकी); डा0 एम0सी0 उप्रेती, सहायक निदेशक (फार्म), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची से डा0 ए0सी0 मिश्रा, सह–प्राध्यापक, सब्जी विज्ञान, गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग महाविद्यालय, घुड़दौड़ी से डा0 अरूण भट्ट, सह–प्राध्यापक, अनुवांशिकी

एवं पादप प्रजनन ने विश्वविद्यालय में अपनी सेवाओं के आमेलन हेतु आवेदन किया है। विश्वविद्यालय में उपरोक्त शिक्षकों की सेवायें संतोषजनक रही हैं। आमेलन हेतु उनके मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। उपरोक्त अधिकारियों ने विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के सम्बन्धित नियमों के अनुरूप अपनी सेवाओं के विश्वविद्यालय में आमेलन हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है। उपरोक्त की सेवाओं के विश्वविद्यालय में आमेलन का प्रस्ताव मा0 प्रबंध परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया। मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों/ कार्मिकों की सेवाओं के विश्वविद्यालय में आमेलन/ संविलियन संबंधी नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रबंध परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रकरणों को अंतिम निर्णय हेतु शासन को संदर्भित करने का निर्देश भी दिया गया।

(कार्यवाही–कार्मिक विभाग)

संकल्प सं0 2/ 11: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं0 1: कृषि की उन्नत तकनीकियों का फिल्मांकन तथा टेलीविजन द्वारा प्रसारण।

निर्णयः

विश्वविद्यालय के उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय अपनी वित्तीय बचत के मद से लघु डॉक्यूमेंटरी फिल्में तैयार कर सकता है। मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय सूचना महानिदेशालय/डी0ए0वी0पी0 की स्वीकृत दरों पर लघु डॉक्यूमेंटरी फिल्मों का निर्माण एवं प्रसार कर सकता है। उक्त सुझावों के साथ मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा संकल्प पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–प्रसार निदेशालय)

प्रस्ताव सं0 2: विश्वविद्यालय की परिनियमावली में संशोधन।

निर्णयः

मा0 प्रबंध परिषद् के संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय की परिनियमावली के हिन्दी संस्करण की प्रस्तर संख्या 8 (ख) के बिन्दु संख्या 2 में " **समितियों द्वारा तैयार की गई सेवानियमावली प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति**

के पश्चात लागू होगी " लिखा गया है जबकि परिनियमावली के अंग्रेजी संस्करण में वर्णित है, **"The service Rules so prepared by the committees shall become applicable after approval by the Board of Management".**

अतः अंग्रेजी संस्करण के अनुसार हिन्दी संस्करण में भी प्रस्तर संख्या 8 (ख) बिन्दु 2 को निम्न प्रकार से संशोधित कर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तर संख्या 8(ख) **"समितियों द्वारा इस प्रकार तैयार की गई सेवानियमावली प्रबंध परिषद् के अनुमोदनापरान्त लागू की जायेगी।"**

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 29(2) के प्रावधानों के अनुसार मा0 प्रबन्ध परिषद् को परिनियमावली में संशोधन किये जाने की शक्ति प्रदत्त है। तदापि उक्त अधिनियम की धारा 29(6) के अनुसार परिनियमावली में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा किये गये संशोधन मा0 कुलाधिपति के अनुमोदनोपरांत लागू होंगे।

मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा सहमति प्रदान की गई तथा निर्देश दिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन परिनियमावली मे उपरोक्त संशोधनों को मा0 कुलाधिपति के अनुमोदनार्थ प्रेषित करें।

(कार्यवाही–कुलसचिव कार्यालय)

प्रस्ताव सं0 3: भरसार विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार केन्द्र, सेलाकुई में वन विकास निगम की पूर्व स्थित परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण।

निर्णयः

मा0 प्रबंध परिषद् नें वन विकास निगम को संपत्ति हस्तांतरण के लिए कोई भी धनराशि न दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की।

(कार्यवाही–परिसंपत्ति कार्यालय)

प्रस्ताव सं0 4: विश्वविद्यालय हेतु दो बोलेरो जीप क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव।

निर्णयः

मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा निदेश दिया गया कि विश्वविद्यालय डी0जी0एस एण्ड डी0 दरों पर अपनी बचत मद से दो बुलेरो जीप का क्रय कर सकता है किन्तु इसके लिए

मुख्यमंत्री कार्यालय से भी पूर्वानुमति ले ली जाय। साथ ही अधिष्ठाता, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी एवं सदस्य मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा मांग की गई कि छात्रों के लिए रानीचौरी परिसर हेतु बस की भी आवश्यकता है। जिसके लिए भी मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति प्रदान की।

(कार्यवाही–परिसंपत्ति कार्यालय)

प्रस्ताव सं0 5: विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्वीकृत कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, प्रशासनिक अधिकारी के पदों (लिपिकीय संवर्ग) के वेतनमान संशोधन का प्रस्ताव

निर्णय:

मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को निदेश दिया गया कि उपरोक्त पदों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक पदों जैसे प्रयोगशाला सहायक आदि को सम्मिलित करते हुए ग्रेड–पे संशोधन का विस्तृत प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही–वित्त विभाग)

प्रस्ताव सं0 6: भरसार विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के ग्रेच्युटी अंशदान के सम्बन्ध में

निर्णय:

मा0 प्रबंध परिषद् द्वारा संबंधित कार्मिकों के ग्रेच्युटी अंशदान के भुगतान के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–वित्त विभाग)

संकल्प संख्या : 2/12

विषय: धन्यवाद प्रस्ताव।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ ही बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

(डा0 यशवन्त सिंह बर्त्वाल)
कुलसचिव / सदस्य सचिव

(मैथ्यू प्रसाद) 05/10/15
कुलपति / अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद्